भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3912

(दिनांक 18.03.2020 को उत्तर के लिए)

सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड

3912. श्री रामुलु पोथुगन्तीः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों (पीएसयूए) के विभिन्न प्रमुख पदों के लिए नियुक्ति सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पीईएसबी के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन संबंधी मापदंड क्या हैं और इस संबंध में विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या पीईएसबी द्वारा लागू की जा रही प्रक्रिया/चयन के बारे में व्यक्तियों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि पीईएसबी द्वारा किए गए चयन पारदर्शी और एकदम साफ-सुथरे तरीके से हों; और

(ङ) क्या सरकार की लाइव वीडियो कैमरा विधि शुरू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ङ): लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) का गठन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक युक्तियुक्त प्रबंधकीय कार्मिक नीति विकसित करने और विशेष रूप से प्रबंधन-पदों पर नियुक्तियों में सरकार को सलाह देने के लिए दिनांक 03.03.1987 के शासकीय संकल्प सं. 27(21)-ईओ/86 (एसीसी) के तहत एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में किया गया है। पीईएसबी के गठन, इसके अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के पात्रता-मापदंड और प्रक्रिया, उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें, पीईएसबी के कार्य और उद्देश्य समय-समय पर यथासंशोधित उपर्युक्त संकल्प में दिए गए हैं। इस संकल्प के अनुसार, पीईएसबी के अध्यक्ष और सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिनका सार्वजनिक अथवा निजी निगमों अथवा लोक प्रशासन में लम्बे समय तक और विशिष्ठ करिअर रहा हो तथा प्राथमिकता के साथ, कार्मिक, वित्त, उत्पादन या विपणन के क्षेत्र में उपलब्धियों का प्रमाणिक रिकार्ड रहा हो।

पीईएसबी, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में मुख्य कार्यपालकों और कार्यात्मक निदेशकों के पदों पर कार्मिकों के चयन हेतु जिम्मेदार है। पीईएसबी को इसके कार्यों के निर्वहन में दिनांक 03.03.1987 के शासकीय संकल्प में यथानिर्धारित चयन प्रक्रिया और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है।

पीईएसबी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया/किए गए चयन के संबंध में दिनांक 03.02.2020 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

****